आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आर्म्स अपील वाद सं0–174/2024

अब्दुल फतह

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व	:–
अपीलकर्त्ता की तरफ से	:–विद्वान अधिवक्ता, सज्जाद अली खाँ एवं इरशाद अली खाँ।
सरकार की तरफ से	:–विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

आदेश

अनुसूची 14 फार्म संख्या 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
04.10.2024 21.10.2024	**प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद, शस्त्र दण्डाधिकारी, सीवान के आदेश ज्ञापांक–612/शस्त्र, दिनांक–05.04.2022** द्वारा अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०–11/73 को निरस्त किये जाने के आदेश के विरूद्व इस स्तर पर लाया गया है। **विद्वान अपर लोक अभियोजक** द्वारा बताया गया कि शस्त्र दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक–05.04.2022 को पारित किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक–19.09.2024 को इस स्तर पर दायर किया गया, जिसे दिनांक–25.09.2024 को ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया। दिनांक–25.09.2024 को न्यायालीय कार्य स्थगित रहने के कारण प्रस्तुत वाद दिनांक–27.09.2024 एवं दिनांक–04.10.2024 को ग्रहण के बिन्दु पर सूचीबद्व किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता या उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहें है। उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता की कोई वास्तविक अभिरूची वाद के निष्पादन में नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का आवेदन **Time Barred** है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने याचिका में यह अंकित किया गया है कि वे बूढ़े है और अक्सर बीमार रहते है एवं चलने–फिरने में असमर्थ	

WEB COPY NOT OFFICIAL

है। ऐसे में असमर्थ व्यक्ति के पास शस्त्र अनुज्ञप्ति का क्या औचित्य है, यह भी भी अपीलकर्त्ता के याचिका से स्पष्ट नहीं होता है। चूँकि असमर्थ व्यक्ति की अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना भी रहती है। अपीलकर्त्ता के द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सीवान के आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं इसका भी कोई उल्लेख उनके याचिका में नहीं है। साथ ही वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों दिनांक–27.09.2024 एवं दिनांक–04.10.2024 को भी अपीलकर्त्ता/उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहें है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता की रूचि वाद के निष्पादन में नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर **खारिज** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL